भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1900

उत्तर देने की तारीख : 31.07.2025

एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत निधि का कम उपयोग

1900. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) और कई अन्य प्रमुख एमएसएमई योजनाओं में पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान आवंटित निधि का कम उपयोग हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु में वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान सीजीटीएमएसई और अन्य प्रमुख एमएसएमई योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, जारी और वास्तव में उपयोग की गई निधि का योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवंटित निधि का पूर्ण और समय पर उपयोग सुनिश्चित करने और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के बीच जागरूकता, पहुंच और ऋण एवं योजना के लाभों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) सहित केंद्रीय क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करता है, जिसके लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कोई बजट आवंटन नहीं किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान मंत्रालय को आवंटित बजट की तुलना में व्यय का प्रतिशत क्रमशः 99.46% और 99.87% है।

इसके अलावा, सीजीएस के अंतर्गत, वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत से लेकर वर्ष 2022 तक, एमएसई को ₹3.21 लाख करोड़ मूल्य की 59.06 लाख गारंटियाँ प्रदान की गई हैं। योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के मद्देनजर, वर्ष 2022-25 तक की तीन वर्षों की छोटी सी अवधि में एमएसई को ₹6.12 लाख करोड़ मूल्य की 56.04 लाख गारंटियाँ प्रदान की गई हैं, जिससे एमएसई के लिए ऋण प्रवाह में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(ग) : देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा उनकी ऋण तक पहुंच आसान बनाने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एमएसएमई/उद्योग विभागों तथा अन्य हितधारकों जैसे सीजीटीएमएसई, सिडबी, बैंकों, एमएसएमई संघों आदि के समन्वय से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

*****